न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 82/2010

1 जोधाराम पुत्र जमनाराम।
2 श्योदान पुत्र जमनाराम।
3 मंगलचन्द पुत्र जमनाराम।
4 छोटूराम पुत्र जमनारामा।
5 ताराचन्द पुत्र जमनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी करमाड़ी तन पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.10 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी मुकदमा नम्बर 110/2003 शीर्षक मुकदमा जोधाराम वगैरह बनाम सरकार

उपस्थिति :

1. श्री गोकुलचन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 110/2003 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने विचारण न्यायालय में घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर ग्राम पपुरना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2582,2583 की खातेदारी की उदघोषणा का अनुतोष चाहा है एवं वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2630,2631,2632 को वादीगण की खातेदारी से हटाकर राजकीय खाते में दर्ज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट/वादीगण के पिता जमनाराम को ग्राम पुपरना के गत खसरा नम्बर 3849 रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा में से दिनांक 07.07.1968 को 4 बीघा पुख्ता भूमि आंवटित होना माना है तथा हल्का पटवारी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पपुरना की मौजूदगी में अपीलांट के पिता को आंवटित भूमि का कब्जा देना भी माना है। अपीलांट द्वारा उसके पिता जमनाराम को खसरा नम्बर 3849 के जिस भाग पर हल्का पटवारी ने कब्जा दिया है उस भाग का नक्शा पेश कर उसको अपने बयानो में प्रदर्शित करवाया है। उक्त नक्शे से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पिता को हल्का पटवारी ने खसरा नम्बर 3849 के रकबा 4 बीघा पुख्ता पर एक ही भाग पर कब्जा करवाया है। खसरा नम्बर 3849 के जिस भाग पर अपीलांट्स का कब्जा है उसके नये खसरा नम्बर 3446 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3447 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3448 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3449 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

3450 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3451 रकबा 0.24 हैक्टेयर बने है जिसके बाद में बन्धा की ढ़ाणी अलग राजस्व ग्राम बनने पर वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर के क्रमशः खसरा नम्बर 2578 लगायत 2583 है। उक्त समस्त रिकार्ड से यह साबित है कि उक्त समस्त खसरा नम्बर 2578 लगायत 2583 भी एक ही स्थान पर लगातार है तथा पुराने खसरा नम्बर 3849 में जिस स्थान का कब्जा हल्का पटवारी ने अपीलांट्स के पिता को कब्जा दिया है उसी स्थान से मिलान हो रहा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भूमि मुताबिक रिकार्ड राजकीय है जिस पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है जिसके लिए पृथक से न्यायालय नायब तहसीलदार स्तर पर धारा 91 की कार्यवाही जैरकार है। भू–प्रबन्ध कार्य के दौरान मुताबिक रिकार्ड एवं मौका सही कार्यवाही की गई है भूमि पर बिहारी पुत्र हरजी माली एवं भागू पुत्र घड़सी माली का कब्जा भी होना बताया है जबकि उक्त दोनों को ही पक्षकार नहीं बनाया गया। भूमि मुताबिक रिकार्ड राजकीय है जिस पर वादीगण बहैसियत अतिक्रमी काबिज है। जिसके लिए उनके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही की गई है भूमि पर काश्त करना बताया है। जबकि मौके पर टेलिफोन टॉवर भी स्थापित कर रखा है जिसका किराया टॉवर कम्पनी से वसूल किया जा रहा है इस प्रकार मुताबिक रिकार्ड राजकीय भूमि का किराया वसूल करना राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुचाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन कर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में तनकीवार विवेचित किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों सबूतों यथा जमाबंदी संवत 2026 से 2029 प्रदर्श 4 व संवत 2030 से 33 प्रदर्श 5 इत्यादि से स्पष्ट है कि

वादीगण के पिता को साबिक खसरा नम्बर 3849 में से 4 बीघा भूमि 07.07. 1968 को आवंटित हुई थी तथा वादीगण के पिता गैर खातेदार दर्ज रहे उन्हें खातेदारी अधिकार कभी नहीं मिले। खातेदारी अधिकार जरिये नामान्तकरण संख्या 243 के वादीगण को खसरा नम्बर 2578,2579,2580,2581,2630,2631, 2632 के प्रदान किये गये जबकि खसरा नम्बर 2630 लगायत 2632 की भूमि पर वादीगण का कब्जा ही नहीं है। जमनाराम की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 243 के द्वारा वादीगण हाल खसरा नम्बर 2578 लगायत 2581 व 2630 लगायत 2632 के खातेदार काश्तकार 07.09.1968 को बने। वादीगण को खसरा नम्बर 2582 से 2583 के खातेदारी अधिकार कभी नहीं मिले। इस खसरा नम्बरों की भूमि राजकीय किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है तथा राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 2582 से 2583 राजकीय खाते में सिवायचक नाकाबिल काश्त गैर मुमकीन पहाड़ के रूप में दर्ज है। गैर मुमकिन पहाड़ पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। विचारण न्यायालय द्वारा विवेचित इस निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर